न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

श्रीमति मोना समैया उम्र 48 वर्ष पति डॉ. गुलाब समैया
निवासी रामपुरा वार्ड, सागर,
जिला सागर म.प्र.

.......रिव्यूकर्ता/आवेदक

// बनाम //

1. महेन्द्र खटीक बल्द स्व.श्री जीवनलाल खटीक
निवासी– सूबेदार वार्ड तह. व जिला सागर म.प्र.

2. महेश साहू बल्द श्री गिरधारी लाल साहू
निवासी– भगतसींग वार्ड तह. व जिला सागर म.प्र.

3. कमलेश साहू बल्द स्व.श्री श्याम बिहारी साहू
निवासी– जवाहरगंज वार्ड सागर तह. व जिला सागर म..प्र.

4. श्रीमति सतेन्दरजीत मिड्ढा पत्नि श्री जगमोहन मिड्ढा
निवासी A-J,37 चौथी गली
अन्नानगर चेन्नई तमिलनाडू

......अनावेदकगण

पुर्नावलोकन प्रकरण क्र.   /15

पुर्नावलोकन तरफ से आवेदकगण अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू. रा.संहिता 1959

सम्माननीय न्यायालय द्वारा रिव्हीजन क्रमांक R-2229/I/15 महेन्द्र खटीक वगैरह विरूद्ध श्रीमति मोना समैया में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 16.7.15 का पुर्नावलोकन प्रस्तुत करता है –

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुर्नावलोकन कर्ता/आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.5.2015 के द्वारा अनावेदिका क्रमांक–4 श्रीमति सतेन्दरजीत मिड्ढा से मौजा ग्राम अमावनी प.ह.नं.46 सर्किल सागर स्थित ख.नं. 22 एवं 29 में से 0.40 हेक्टेयर भूमि क्रयकर असल मालकाना व खास कब्जा प्राप्त किया था ।

2. यह कि उक्त विक्रयपत्र के आधार पर विद्वान तहसीलदार सागर के न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तरण प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 से 3 द्वारा दिनांक 10.7.2015 को एक आवेदन

मोना समैया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2449–एक/15 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.12.2015	आवेदक की ओर से श्री मानस दुवे अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2229–एक/2015 आदेश दिनांक 16.7.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरवलोकन प्रकरण कमांक 2449–एक/2015 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2229–एक/2015 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 16.7.2015 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 2449–एक/2015 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरवलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

स्वीकार किया जा सकता है :—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2—अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्‌यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्‌य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य